



AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय आरक्षित 22-02-2024

निर्णय घोषित 10-05-2024

विविध दांडिक याचिका क्रमांक-747/2023

- योगेश कुमार पांडेय पिता श्री देवानंद पांडेय आयु लगभग 32 वर्ष मकान क्रमांक 824, सड़क क्रमांक 9, पुरी इति चंद्रनगर के पीछे, वार्ड क्रमांक 14, शांति नगर, कोहका भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
- विनय लाउत्रे पिता श्री सुरेश लाउत्रे, आयु लगभग 30 वर्ष, भाटापारा वार्ड क्रमांक 13, कोहका भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
- कार्तिक राम साहू पिता स्व. भूवन लाल साहू, आयु लगभग 29 वर्ष आयु, भाटापारा वार्ड क्रमांक 12, कोहका भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

--- याचिकाकर्तागण

बनाम

- छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना पुलगांव, जिला दुर्ग (छ.ग.)
- फीरोज खान पिता श्री पहलवान खान, आयु लगभग 32 वर्ष, निवासी चौहान ग्रीन वैली, जुनवानी, पुलिस आउटपोस्ट स्मृति नगर, पुलिस थाना सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.)

--- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता ओर से : श्री बी.पी. शर्मा के साथ सुश्री अनुजा शर्मा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री आर.सी.एस.देव, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 2 ओर से : श्रीमती फौजिया मिर्जा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अविनाश चंद साहू, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायामूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास

सी.ए.व्ही आदेश

- याचिकाकर्तागण ने वर्तमान विविध दांडिक याचिका द.प्र.सं. की धारा 482 के तहत प्र.सू.प. क्रमांक 0129/2023 को रद्द करने के लिए दायर की है, जो कि धारा 420, 120B, 34 IPC के तहत पुलिस थाना – पुलगांव, जिला – दुर्ग में 27.03.2023 को दर्ज की गई थी।
- अभियोजन की कहानी, संक्षेप में, यह है कि प्रार्थी फीरोज खान ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम पंचायत जेवरा में स्थित खसरा क्रमांक 496/1, 156, 151/1, पटवारी हल्का



क्रमांक 9 और 13 के भूखंड को आरोपी महावीर डेवलपर्स द्वारा दलबीर सिंह, मानसिंह, शमशेर खान, रहीम खान को बेच दिया गया है। निदेशक योगेश पांडे और उनके सहयोगियों और कर्मचारियों विनय लौने, कार्तिक और हल्का क्रमांक 9 और 13 के पटवारी ने षड्यंत्र रचकर, धोखा देकर छल की है क्योंकि उन्होंने नगर एवं ग्राम नियोजन प्राधिकरण से अनुमोदन नहीं लिया है। आगे तर्क दिया गया है कि खसरा क्रमांक 496/1 रामअवतार पुत्र जगन्नाथ और 05 अन्य लोगों का है। उक्त भूमि को 39 भूखंडों में विभाजित किया गया है और अभियुक्तगण द्वारा उचित अनुमोदन और कर का भुगतान किए बिना बेच दिया गया है। इसी प्रकार खसरा क्रमांक 156 की भूमि स्वामी मोहन पुत्र चंद्रिका व दो अन्य के नाम, खसरा क्रमांक 151/1 श्रीराम पुत्र गोवर्धन व दो अन्य के नाम दर्ज है, जिसमें प्लॉटिंग की गई है। प्रार्थी के अनुसार दिनांक 10.01.2021 से 27.03.2023 को 19:00 बजे तक महावीर डेवलपर्स के निदेशक एवं उनके सहयोगी विनय लौने व कार्तिक ने बिना नक्शा स्वीकृत कराए व टी.एन.सी. स्वीकृति लिए वास्तविक भूस्वामियों को कम मूल्य देकर भूमि बेची है। चूंकि अभियुक्तगण ने टी.एन.सी. स्वीकृति के बिना भूमि बेची है, इसलिए भूमि बेचना अवैध है। ऐसे में महावीर डेवलपर्स के निदेशक योगेश पांडे व उनके सहयोगी लंबे समय से छल व षड्यंत्र के तहत भूमि खरीद-फरोख्त कर शासन को चूना लगा रहे हैं व आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रार्थी के आवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया धारा 420, 120 बी, 34 भ.द.स का अपराध घटित होना पाया गया है, तदनुसार अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर, भ.द.स की धारा 420, 120 बी और 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। वर्तमान मामले में यदि छल की परिभाषा को प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के साथ जोड़कर देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्रार्थी को किसी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन करने के लिए धोखा दिया गया है या प्रेरित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार, जैसा कि पूर्व में वर्णित है वर्तमान याचिकाकर्तागण द्वारा अन्य व्यक्तियों के स्वत्व के भूखंडों को विभिन्न व्यक्तियों को बेचा गया है, इसलिए यह अकल्पनीय है कि कोई भी व्यक्ति किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद में प्रवेश करेगा जब उक्त संपत्ति उस व्यक्ति की नहीं है जिसके साथ लेनदेन किया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान याचिकाकर्तागण और उन व्यक्तियों जिन्हें कथित रूप से भूखंड बेचे गए हैं उनके मध्य संविद स्वरूप कोई विधिक संबंध नहीं है। जब तक प्रार्थी/उत्तरवादी क्रमांक 2 इस आशय के दस्तावेज संलग्न नहीं करता कि याचिकाकर्तागण ने किसी अन्य



व्यक्ति की संपत्ति को प्रतिरूपण करके या अन्यथा बेचा है, तब तक पुलिस द्वारा प्रतिरूपण और छल का कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, निश्चित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही यह उल्लेख किया गया है कि भूमि किसी अन्य व्यक्ति की है और उसे प्लॉटिंग के बाद अन्य व्यक्तियों को बेचा गया है और इस पृष्ठभूमि में, जब प्रथम दृष्टया यह दर्शित है कि वर्तमान याचिकाकर्तागण द्वारा कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है, पुलिस अधिकारियों ने वर्तमान याचिकाकर्तागण की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

4. आगे यह तर्क दिया गया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि आपराधिक मामले का पंजीकरण आवश्यक रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, इसके अलावा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मनमाना भी है। उन्होंने आगे कहा कि भ.द.स की धारा 415 के तहत दंडनीय छल का अपराध दर्ज करने से पहले, कानून की पहली आवश्यकता ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य के मामले में निर्धारित कानून का पालन करना है, जिसकी रिपोर्ट (2014) 2 एससीसी 1 में दी गई है। इस स्तर पर याचिकाकर्तागण ने ललिता कुमारी (केस) के पैरा 120 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने आगे कहा कि अपराध के पंजीकरण के बिंदु पर, पुलिस के समक्ष कोई भी सामग्री पेश नहीं की गई है जिसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को धारा 154 द.प्र.स के तहत मामले में आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र मिलता है। अपराध दर्ज करने के लिए धारा 154 द.प्र.स के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई चूक और कमीशन के कृत्य कानून की नजर में कोई अपराध नहीं है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर बताए अनुसार लेन-देन करता है, तो ऐसे कार्य के संबंध में सीजी नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2011 के माध्यम से 1956 के अधिनियम के तहत प्रावधान शामिल किया गया है और संशोधन अधिनियम की धारा 13 द्वारा धारा 292-ए से 292-एफ डाली गई है। प्रावधानों पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 292 ए कॉलोनाइज़र या बिल्डर के पंजीकरण से संबंधित है। धारा 292 बी कॉलोनियों के विकास से संबंधित है। धारा 292 सी और 292 डी अवैध कॉलोनियों के लिए दंड और भूमि के अवैध मोड़ या अवैध कॉलोनियों के अपराध को बढ़ावा देने के लिए दंड से संबंधित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से अवैध कॉलोनियों के कुछ चूक और कमीशन के कृत्यों को दंडनीय बनाया गया है, लेकिन इसका संज्ञान केवल विधि के तहत निर्धारित एक



विशेष तरीके से लिया जा सकता है और वर्तमान मामले में इसका पालन नहीं किया गया है, स्वाभाविक रूप से संशोधन अधिनियम, 2011 के तहत कोई अपराध पंजीकृत नहीं किया गया है। मूलतः, याचिकाकर्तागण का तर्क यह है कि संज्ञान या अभियोजन की प्रक्रिया के संबंध में 1956 के अधिनियम की धारा 396 के तहत एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 1956 के अधिनियम के तहत केवल मजिस्ट्रेट ही अपराध का संज्ञान ले सकता है और वह भी आयुक्त या किसी नगरपालिका अधिकारी या आयुक्त द्वारा या तो सामान्य रूप से या सभी ऐसे अपराधों के संबंध में या विशेष रूप से किसी विशिष्ट अपराध या विशेष वर्ग के अपराधों के संबंध में अधिकृत पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत पर। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पर उत्तरवादी क्रमांक 2 के कहने पर उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि इस संबंध में विधि अच्छी तरह से स्थापित है कि जब किसी चीज को किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस आपराधिक विविध याचिका के लंबित रहने के दौरान पटवारी की रिपोर्ट, जिसका उपयोग वर्तमान मामले में याचिकाकर्तागण को फंसाने के लिए किया गया था, उसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 202304100284/ए-89 (फिरोज खान एवं अन्य बनाम योगेश पांडे) में की गई है एवं 15.12.2023 के आदेश के तहत माना गया है कि याचिकाकर्ता अवैध प्लॉटिंग के कथित आरोपों से मुक्त हैं। इस कार्यवाही के दौरान पटवारी ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 30.06.2023 की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि याचिकाकर्ता वास्तविक भूमि स्वामियों को धोखा देकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण के नाम पर कोई भी भूमि दर्ज नहीं की गई है।

6. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता यह कहा गया है कि मामला मुख्य रूप से व्यवहार वाद है एवं वर्तमान याचिकाकर्तागण के खिलाफ अपराध का पंजीकरण पुलिस की ओर से अत्याचारपूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है, इसके पीछे का कारण यह प्रतीत होता है कि उत्तरवादी क्रमांक 2 राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित है और हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दुर्ग (ग्रामीण) के महासचिव के रूप में निर्वाचित हुआ है। दूसरे शब्दों में, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादी अधिकारियों ने बाहरी विचार के लिए काम किया है और अपने विवेक को किसी अन्य प्राधिकारी को या कुछ अन्य व्यक्तियों के इशारे पर आत्मसमर्पण कर दिया है, वर्तमान याचिकाकर्तागण की स्वतंत्रता को



स्वतंत्रता के रक्षक द्वारा दांव पर लगा दिया गया है या रक्षक वर्तमान मामले में शिकारी बन गया है अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए निवेदन किया है। अपने अभिवचनों को पुष्ट करने के लिए उनके द्वारा ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार और अन्य {(2014) 2 एससीसी 1}, हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल 1992 सप्लीमेंट (1) एससीसी 395, विजय कुमार घई बनाम पश्चिम बंगाल राज्य {(2022) 7 एससीसी 124}, विनोद नस्तेशन बनाम केरल राज्य {(2019) 2 एससीसी 401} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है, उसके बाद, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के बाद, पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलें उनके बचाव हैं जिन्हें उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है, इसलिए, इस याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

8. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने जवाब पेश किया है, जिसमें उनके द्वारा व्यक्त किया गया है कि संबंधित पुलिस स्टेशन ने राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए पत्राचार और सत्यापन के बाद भ.द.स की धारा 120-बी, 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है। याचिकाकर्तागण ने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 396 का उल्लंघन है, जबकि संबंधित भूमि ग्राम: जेवरा, तहसील और जिला: दुर्ग में स्थित है, जो दुर्ग नगर निगम का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए, नगर निगम अधिनियम उपरोक्त ग्राम पंचायत में लागू नहीं होता है, इसलिए, याचिकाकर्तागण द्वारा उठाए गए आधार टिकने योग्य नहीं हैं। यह भी व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्तागण द्वारा दिए गए तर्क कि वे संबंधित संपत्ति के संबंध में किसी भी लेनदेन में शामिल नहीं हैं, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण है क्योंकि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने सर्वे क्रमांक 496 के भूमिस्वामियों के पक्ष में इंडियन ओवरसीज बैंक के चेक क्रमांक 787700 और 787649 जारी किए हैं। इसी प्रकार, सर्वे क्रमांक 496 वाली भूमि के अन्य भूमिस्वामियों यानी पूना चंद पुत्र स्वर्गीय जयंत, उत्तरा देवी पत्नी स्वर्गीय जयंत, केशी बाई उर्फ केशल बाई पुत्री उत्तरा, अंबाला पुत्री स्वर्गीय उत्तरा और परेगा बाई पत्नी स्वर्गीय जयंत के साथ उन्होंने उपरोक्त भूमि की बिक्री और खरीद के लिए समझौता किया और जब याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने उक्त भूमि की प्लॉटिंग करने की कोशिश की, तो उन्होंने इसका विरोध किया और संबंधित पुलिस चौकी- जेवरा



सिरसा के समक्ष कुछ शिकायत की। उन्होंने 30.11.2021, 11.12.2021 और 22.01.2022 को विभिन्न शिकायतें दर्ज कीं और प्रस्तुत किया कि संबंधित याचिकाकर्ता क्रमांक 1 अवैध रूप से धोखाधड़ी कर रहा है और उसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया और साथ ही वह ग्रामीणों को जमीन के छोटे टुकड़ों में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए धमका रहा है। इसी तरह अन्य भूमिस्वामियों रामाधार साहू और कमलेश और श्रीमती देवरिन बाई के साथ सर्वे क्रमांक 151/1 के साथ भी यही कार्यप्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत 16.02.2022 को अनुबंध के तहत उपरोक्त भूमि का विक्रय मूल्य 85 लाख प्रति एकड़ था और प्लॉटिंग के बाद जमीन बेच दी गई। उपस्थित किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने उन्हें धमकी दी कि यदि वे अपने भूखंड या पूरी जमीन नहीं बेचते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाएगा, इसलिए उन्होंने वर्तमान उत्तरवादी क्रमांक 2 से संपर्क किया, जिसने 06.02.2023 को जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर, दुर्ग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। तत्पश्चात कलेक्टर ने राजस्व अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए तथा ग्राम पंचायत जेवरा के संबंधित पटवारी को निर्देशित किया, जिन्होंने अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग को ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा बताया कि योगेश पांडे जो वर्तमान याचिकाकर्ता है, भूमि सर्वे क्रमांक 151/1 मापी रकबा 0.410 हेक्टेयर, भूमि सर्वे क्रमांक 496/1 मापी रकबा 0.726 हेक्टेयर जो कि शिकायतों से संबंधित है, में अवैध रूप से धोखाधड़ी कर रहा है तथा उपरोक्त ज्ञापन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने संबंधित ग्राम पंचायत जेवरा के विरुद्ध धारा 40 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की, क्योंकि वह भी अवैध प्लाटिंग में संलिप्त थी तथा उसी शिकायत पर प्राधिकरण ने वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कलेक्टर के समक्ष दी गई शिकायत के आधार पर जांच की गई तथा पाया गया कि वर्तमान याचिकाकर्ता अवैध रूप से धोखाधड़ी में संलिप्त है। राजस्व अधिकारियों ने मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त समय लिया और उसके बाद उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अवैध नहीं है और वर्तमान विविध दांडिक याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

9. उत्तरवादी क्रमांक 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि किसानों के बयान से प्रथम दृष्टया वर्तमान याचिकाकर्तागण के खिलाफ मामला बनता है। याचिकाकर्ता नगर निगम अधिनियम की धारा 396 का सहारा ले रहे हैं जो उनके लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह धारा नगर निगम अधिनियम के तहत उल्लंघन से संबंधित है और छल के अपराध से संबंधित नहीं है, इसलिए भ.द.स की धारा 420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का



उपाय राज्य के पास उपलब्ध है, इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना कानूनी एवं न्यायोचित है और इस न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तरवादी क्रमांक 2 एक भारतीय नागरिक होने के नाते सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सच्चाई लाने का अधिकार रखता है और प्रार्थीओं ने 18.02.2024 को इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा भी निष्पादित किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि पुलिस ने शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए उन्होंने उत्तरवादी क्रमांक 2 के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दिया है और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा लंबे अनुनय के बाद केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता यह आधार ले रहे हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित एक मामले में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया है, जो पूरी तरह से भ्रामक तथ्य है क्योंकि उस कार्यवाही में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 40 के तहत कार्यवाही करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और उसमें याचिकाकर्तागण को दोषमुक्त नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 07.12.2023 को पारित आदेश का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

10. मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए और अभिलेखों का अवलोकन किया गया है तथा राज्य द्वारा प्रस्तुत डायरी की फोटोकॉपी का भी अवलोकन किया गया है।

11. पक्षों के वकीलों द्वारा की गई उपरोक्त तर्क अनुसार इस न्यायालय द्वारा इस बिंदु पर निर्धारण किया जाना है कि क्या याचिकाकर्तागण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं?

12. इस मामले में उठाए गए मुद्दे को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 415 और 420 के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करना समीचीन है, जो इस प्रकार हैं:-

415 – छल—जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्ण या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस



कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी, या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होता है, या कारित होना सम्भाव्य है, वह "छल" करता है, यह कहा जाता है।

420-छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना— जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा, कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान् प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और आज जो मूल्यवान् प्रतिभूत में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

13. भ.द.स की धारा 415 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देकर, छल या बेईमानी से किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या सहमति प्राप्त करता है जो वह धोखा न दिए जाने पर नहीं करता, तो केवल तभी यह कृत्य छल के दायरे में आएगा। भ.द.स की धारा 415 में निहित प्रावधानों के आलोक में, इस न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान, उन किसानों के बयान जिनकी जमीनें प्लॉटिंग करके बेची गई हैं और साथ ही भूमिस्वामियों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 18.02.2024 को दायर शपथपत्र की सामग्री की जांच करनी है।

14. डायरी में उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और राम साहू, कमलेश साहू और देवरिन बाई के बीच 16.02.2022 को एक अनुबंध हुआ था, जिसमें पक्षों के बीच सहमति हुई थी कि अनुबंध के निष्पादन के समय विक्रेताओं यानी भूमिस्वामियों को 20 लाख का भुगतान किया गया था और शेष राशि 6,00,000/- रुपये प्रति माह की 11 को किस्तों में देय थी। अनुबंध में आगे प्रावधान है कि जमीन या तो याचिकाकर्ता क्रमांक 1 या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर समेकित रूप से या टुकड़ों में पंजीकृत की जाएगी। भूमिस्वामियों ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि याचिकाकर्तागण ने संपत्ति बेचने के बावजूद सहमत राशि का भुगतान न करके अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा नहीं किया है। यहां तक कि उत्तरवादी क्रमांक 2 ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि



किसानों/भूस्वामियों ने उन्हें बताया है कि याचिकाकर्तागण ने सहमत राशि का भुगतान नहीं किया है और इसके बावजूद उन्होंने संपत्ति बेच दी है, यह महत्वपूर्ण तत्व न तो डायरी में उपलब्ध है, न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिवचनों में, न ही भूस्वामियों या उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दायर शपथपत्रों में, इसलिए प्रथम दृष्टया छल का कोई अपराध नहीं बनता है।

15.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ललित चतुर्वेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {SLP (Crl.) क्रमांक 13485 वर्ष 2023 दिनांक 06.02.2024}** मामले में यह कहा है:

"इस न्यायालय ने कई न्यायादृष्टांतों में अनुबंध के उल्लंघन, पैसे का भुगतान न करने या अनुबंध की शर्तों की अवहेलना और उल्लंघन के रूप में एक दीवानी अपराध और भ.द.स की धारा 420 और 406 के तहत एक आपराधिक अपराध के बीच स्पष्ट अंतर बताया है। हालाँकि, इस न्यायालय के बार-बार दिए गए न्यायादृष्टांतों को किसी तरह अनदेखा कर दिया जाता है और उन्हें लागू नहीं किया जाता है। हम इन न्यायादृष्टांतों का उल्लेख करेंगे। आलौचय निर्णय अपीलकर्ताओं द्वारा द.प्र.स की धारा 482 के तहत देरी/आलस्य के आधार पर दायर आवेदन को खारिज कर देता है और इस तथ्य को भी कि आरोप पत्र 12.12.2019 को दायर किया गया था। यह आधार और कारण भी मान्य नहीं है।

"मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य" मामले में इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 का संदर्भ देते हुए कहा था कि उक्त धारा के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का पूरा होना आवश्यक है: -

"18. अब जाँच की जाती है कि छल के अपराध के क्या तत्व बनते हैं। "छल" के अपराध के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

- (i) किसी व्यक्ति को या तो गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या बेईमानी से छिपाकर या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा धोखा देना;
- (ii) उस व्यक्ति को किसी संपत्ति को सौंपने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे रखने के लिए सहमति देने या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करना जो वह नहीं करता या न करता यदि उसे ऐसा धोखा न दिया गया होता; और



iii) ऐसा कार्य या चूक जिससे उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति में क्षति या नुकसान हो या होने की संभावना हो।

19. धारा 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, न केवल छल होनी चाहिए, बल्कि ऐसी छल के परिणामस्वरूप, अभियुक्त को बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए, जिसे धोखा दिया गया है

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए, या

(ii) किसी मूल्यवान प्रतिभूति (या हस्ताक्षरित या सील की गई कोई भी वस्तु जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा सकती है) को पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए।”

इस न्यायालय द्वारा “वी.वाई. जोस और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य” में इसी तरह की व्याख्या में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविदात्मक विवाद या अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। भ.द.स की धारा 415 के तहत परिभाषित ‘छल’ का तत्व, अनुबंध के निर्माण की शुरुआत से ही प्रारंभिक वादा या प्रतिनिधित्व करने के लिए छल या बेईमान इरादे का अस्तित्व है। इसके अलावा, शिकायत याचिका में किए गए कथनों की अनुपस्थिति में, जिनसे अपराध के तत्वों का पता लगाया जा सकता है, उच्च न्यायालय को द.प्र.स की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। द.प्र.स की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाती है, क्योंकि यह एक लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति करती है अर्थात् किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक मुकदमेबाजी के उत्पीड़न से नहीं गुजरना चाहिए, जब कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है। यह कहना एक बात है कि मुकदमा चलाने के लिए मामला बनाया गया है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि शिकायत में कोई अपराध न होने के बावजूद किसी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे से गुजरना चाहिए। वी.वाई.जोस (सुप्रा) में इस न्यायालय ने “हीरा लाल हरी लाल भगवती बनाम सीबीआई”, “इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एनईपीसी इंडिया लिमिटेड”, “वीर प्रकाश शर्मा बनाम अनिल कुमार अग्रवाल” और “ऑल कार्गो मूवर्स (आई) (पी) लिमिटेड बनाम धनेश बदरमल जैन” में पहले के कई फैसलों पर भरोसा किया।



16. पुनः, ए.एम. मोहन बनाम राज्य द्वारा थाना प्रभारी एवं अन्य {एसएलपी (सीआर.) क्रमांक 9598/2022 दिनांक 20.03.2024} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भ.द.स की धारा 415 और 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए सामग्री को चुना है और माना है कि भ.द.स की धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत में यह दर्शाया जाना चाहिए कि भ.द.स की धारा 415 की सामग्री बनती है और जिन याचिकाकर्तागण प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो, कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान् प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और आज जो मूल्यवान् प्रतिभूत में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 11 से 13 और 19 में निम्नानुसार माना है: -

11. इस न्यायालय ने प्रोफेसर आर.के.विजयसारथी एवं अन्य बनाम सुधा सीताराम एवं अन्य 3 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 415 एवं 420 के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्व निकाले हैं:

“15. भारतीय दंड संहिता की धारा 415 इस प्रकार है:

“415 – छल-जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्ण या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्बन्धी, या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होता है, या कारित होना सम्भाव्य है, वह “छल” करता है, यह कहा जाता है। 16. छल का अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्व हैं:

16.1. किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे छल या बेईमानी से प्रेरित किया जाना चाहिए:

16.1.1. इस तरह प्रेरित व्यक्ति को जानबूझकर किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को रखने की सहमति देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, या



16.1.2. इस तरह प्रेरित व्यक्ति को जानबूझकर कुछ ऐसा करने या करने से बचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जो वह नहीं करता या नहीं करता अगर उसे इस तरह धोखा नहीं दिया जाता; और 16.2. ऊपर 16.1.2 में शामिल मामलों में, कार्य या चूक ऐसी होनी चाहिए जो प्रेरित व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या हानि पहुंचाए या पहुंचाने की संभावना हो।

17. छल या बेईमानी से प्रेरित करना अपराध का एक अनिवार्य घटक है। कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति को सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित करता है, वह छल के अपराध के लिए उत्तरदायी है।

18. दंड संहिता की धारा 420 इस प्रकार है:

“420-छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना
— जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा, कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान् प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और आज जो मूल्यवान् प्रतिभूत में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

19. धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्व हैं:

19.1. किसी व्यक्ति को धारा 415 के तहत छल का अपराध करना चाहिए; और

19.2. धोखा खाने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह (क) किसी व्यक्ति को संपत्ति सौंपे; या (ख) मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित या सीलबंद किसी भी चीज को बनाए, बदले या नष्ट करे और मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम हो।

20. धारा 420 के तहत अपराध गठित करने के लिए छल एक आवश्यक तत्व है।

12. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा अर्चना राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, दीपक गाबा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा मरियम फसीहुद्दीन और अन्य बनाम अदुगोडी पुलिस स्टेशन द्वारा राज्य और अन्य मामलों में लिया गया है।



13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भ.द.स की धारा 420 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत में यह दर्शाया जाना चाहिए कि भ.द.स की धारा 415 के तत्व बनाए गए हैं और धोखा दिए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया होगा; या मूल्यवान सुरक्षा या हस्ताक्षरित या सील की गई किसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए और मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भ.द.स की धारा 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत में यह खुलासा किया गया है:

(i) किसी व्यक्ति का धोखा;

(ii) किसी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए छल या बेईमानी से प्रेरित करना; और

(iii) प्रलोभन देने के समय आरोपी का बेईमान इरादा।

19. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान अपीलकर्ता को किसी भी तरह के प्रलोभन की भूमिका नहीं सौंपी गई है। बल्कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच सीधे तौर पर किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं हुआ था। यदि संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, तो यह पता चलता है कि, अभियुक्त क्रमांक 1 के कहने पर, शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के खाते में 20,00,000/- रुपये की राशि हस्तांतरित की। उक्त राशि प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता ने तुरंत अभियुक्त क्रमांक 1 के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया, जिसने उसके बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में जीपीए निष्पादित किया। उसके बाद, वर्तमान अपीलकर्ता को कोई भूमिका नहीं सौंपी गई है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वह अभियुक्त क्रमांक 1, शिकायतकर्ता और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुआ है। इस मामले को देखते हुए, हम पाते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप-पत्र, भले ही उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए, अपीलकर्ता के संबंध में भ.द.स की धारा 420 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए सामग्री का खुलासा नहीं करता है।

17. उपरोक्त कानूनी स्थिति से यह स्पष्ट है कि बेईमानी का इरादा भ.द.स की धारा 415 और 420 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य शर्त है। इस न्यायालय का विचार है



कि उत्तरवादी क्रमांक 2 के लिए यह पूरी तरह से अनुपस्थित है, भले ही वह सीधे तौर पर धोखा खाने वाला व्यक्ति न हो, क्योंकि याचिकाकर्तागण और उत्तरवादी क्रमांक 2 के बीच कोई लेन-देन नहीं हुआ है। मामले के इस दृष्टिकोण से, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान याचिकाकर्तागण के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी। तदनुसार, वर्तमान विविध दांडिक याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाता है और भ.द.स की धाराओं 420, 120 बी, 34 के तहत थाना - पुलगांव, जिला दुर्ग के समक्ष अपराध क्रमांक 0129/2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट और वर्तमान अपराध क्रमांक के आधार पर शुरू की गई बाद की आपराधिक कार्यवाही, यदि कोई हो, को रद्द किया जाता है।

18.हालांकि, इस न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को, जो उक्त लेनदेन या विधि के किसी प्रावधान के गैर-अनुपालन से सीधे प्रभावित हैं, विधि के तहत उपलब्ध अनुतोष लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।

19.उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ विविध दांडिक याचिका स्वीकृत की जाती है।

सही/-
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।